भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 883
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

883. श्री परिमल शुक्ला बैद्यः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सिलचर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना के निर्माण में देरी के प्रमुख कारण क्या हैं;
(ख) क्या सरकार ने उक्त परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार ने उक्त परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ) **:** भारत सरकार (जीओआई) ने दो चरणीय अनुमोदन प्रक्रिया अर्थात 'साइट क्लीयरेंस' के बाद 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के माध्यम से देश में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है।

भारत सरकार ने फरवरी, 2024 में असम के सिलचर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को 'साइट क्लीयरेंस' की मंजूरी दे दी है। जीएफए नीति के अनुसार, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, वित्तपोषण आदि सहित ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, की होगी। हवाईअड्डा परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंज़ूरियों सहित अनिवार्य मंज़ूरियों की उपलब्धता, वित्तीय समापन आदि।

*****